

उत्तर प्रदेश सरकार
राजस्व अनुभाग-13
संख्या-907 / एक-13-2015-7क(6) / 2014
लखनऊ दिनांक 03 दिसम्बर, 2015
अधिसूचना

प्रकीर्ण

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, सन् 2013) की धारा 51 की उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में दिये गये विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश में " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरणों " की स्थापना करते हैं।

अनुसूची

क्रमांक	स्थान जहां भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापित किया जाता है।	क्षेत्राधिकार (जनपद)
1	2	3
1	आगरा	1-आगरा 2-फिरोजाबाद 3-मैनपुरी 4-मथुरा 5-अलीगढ़ 6-हाथरस 7-कासगंज 8-एटा
2	मेरठ	1-मेरठ 2-बागपत 3-मुजफ्फरनगर 4-सहारनपुर 5-शामली
3	गौतमबुद्ध नगर	1-गौतमबुद्धनगर 2-गाजियाबाद 3-हापुड

२५

	बरेली	4-बुलन्दशहर 1-बरेली 2-बदायूँ 3-पीलीभीत 4-शाहजहापुर
	मुरादाबाद	1-मुरादाबाद 2-बिजनौर 3-सम्भल 4-रामपुर 5-अमरोहा
6	लखनऊ	1-लखनऊ 2-हरदोई 3-लखीमपुर खीरी 4-रायबरेली 5-सीतापुर 6-उन्नाव
7	कानपुर	1-कानपुर नगर 2-कानपुर देहात 3-इटावा 4-फर्रुखाबाद 5-कन्नौज 6-औरैया
8	झांसी	1-झांसी 2-ललितपुर 3-जालौन 4-हमीरपुर 5-महोबा 6-बांदा 7-चित्रकूट
9	इलाहाबाद	1-इलाहाबाद 2-कौशाम्बी 3-फतेहपुर 4-प्रतापगढ़
10	वाराणसी	1-वाराणसी

	2-चन्दौली 3-गाजीपुर 4-जौनपुर 5-मिर्जापुर 6-भदोही 7-सोनभद्र
फैजाबाद	1-फैजाबाद 2-अम्बेडकरनगर 3-बाराबंकी 4-सुलतानपुर 5-अमेठी
बस्ती	1-बस्ती 2-सिद्धार्थनगर 3-सन्तकबीरनगर 4-गोण्डा 5-बहराइच 6-बलरामपुर 7-श्रावस्ती
गोरखपुर	1-गोरखपुर 2-कुशीनगर 3-देवरिया 4-महराजगंज 5-आजमगढ़ 6-बलिया 7-मऊ

आज्ञा से,



(डा० अशोक कुमार वर्मा)
सचिव